

## राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**मैसर्स ए.के.जी. बनाम जगदीश**

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तारीख हुक्म

573  
2021

18/02/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश

04/03/2026

हो।  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समाप्त कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29/11/2021 पारित करते हुये विवादग्रस्त आर.जी खसरा नम्बर 683, 685 व 690, 696 राजस्व सीमाओं के निर्धारण से पूर्व सीमाओं के मौके की यथास्थिति बनाये रखने व निर्माण नहीं करने हेतु उभयपक्षों को ताफैसला पाबन्द किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित रहे |

अपील मीमो में अंकित तथ्यों पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नहीं होती है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है |

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29/11/2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर